न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)

क्र. 73/17

पीठासीन अधिकारी दिनेशकुमार मण्डोवरा

आर.ए.एस.

1. [illegible] पिता गोपीलालजी जणवा आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)
2. [illegible] पिता गोपीलालजी जणवा आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)
3. चन्दाबाई पत्नी गोपीलालजी जणवा आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)
4. रोशनलाल पिता वखतरामजी जणवा आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)
5. पूनमचन्द पिता वखतरामजी जणवा आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)
6. जगदीश पिता वखतरामजी जणवा आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)
7. चौथमल पिता वखतरामजी जणवा आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)
8. गेन्दीबाई पिता वखतरामजी जणवा आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)
9. बद्रीबाई पिता वखतरामजी जणवा आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)
10. लीलाबाई पिता वखतरामजी जणवा आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)

वादीगण–

बनाम

शान्तिबाई पत्नि चर्तुभूजजी जणवा आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)

सुरेशचनद्र पिता रमेशचन्द्रजी नाई आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)

श्रीमती नाराणीबाई पत्नी रामचन्द्रजी मेघवाल आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)

श्रीमती बगदीबाई पत्नी खेमराज मेघवाल आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)

श्रीमती टमाबाई पत्नी देवकिशनजी मेघवाल आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)

माधवलाल पिता रतनलालजी नाई आयु वयस्क निवासी गोठड़ा तह. छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (राज0)

प्रतिवादीगण –

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादड़ी

दावा–88, 188 आरटीएक्ट

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वकिल वादी ने न्यायालय के समक्ष एक वाद 188 आरटीएक्ट का दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादी मौजा गोठड़ा की आराजी नं. 696,697,698,699,701,702,703,704 कुल किता 8 कुल रकबा 1.74 हेक्टर स्थित है जो गण के पिता हजारीलाल पिता गोकुल जी जनवा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रेय पत्र के बिल एवज रूपया में चान्दी के कलदार में लक्ष्मन पिता बाबरू नाई निवासी गोठडा से रूबरू गवाहन किशन पिता मोतीलाल एवं हसिन नाई के समक्ष खरदी थी ओर लक्ष्मण पिता बाबरू ला वल्द फोत हो गये थे उनके कोई वारिस नहीं था तभी से वादीगणों के पिता उपरोक्त ग्रस्त आराजियात पर काबिज होकर कास्त करते चाले आ रहे है और उनके मरने के बाद गण उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात पर काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है परन्तु न वादी के पिता द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त जमीन का नामान्तर नहीं कराया है और इसी उपरोक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगणों के खातेदारी में दर्ज रह गई है और इसी का नाजायज कायदा उठाकर प्रतिवादी गण वादीगणों को अपने अधिकारों से वंचित कर वादग्रस्त जियात से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए प्रतिवादीगणों के खिलाफ वादीगण अपनी दारी की घोषणा कराने के अधिकारी है

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्रतिवादीगणों को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिए प्रतिवादीगणों के खिलाफ इस में एक तरफा कार्यवाही की गई वकिल वादी की बहस एक तरफा सुनी गई वकिल वादी में नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 विक्रय पत्र प्रदर्श 4 प्रस्तुत की है तथा गवाह के रूप में स्वयं वादी चौथमल और PW 2 लाल और PW 3 उदयलाल के बयान करवाये बहस एक तरफा सुनी गई बहस में वकिल ने प्रकरण के तथ्यों को दोराहते हुए निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजियत पर णों का ही कब्जा है तथा प्रदर्श 4 जो 54 वर्ष पुराना दस्तावेज है जो भारतीय साक्ष यन की धारा 90 बी के तहत रजिस्टर्ड विक्रेय पत्र है और इस करण इस विक्रेय पत्र के पर लक्ष्मण पिता बाबरू का नाम विलोपित किया जाकर वादीगणों के खोतेदारी घोषित जावें तथा प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेध्याज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादग्रस्त यात से जबरन वादी को बेदखल न करें न अन्य से करावें । ध्यान पूर्वक पत्रावली का कन किया और वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखीक साक्ष का गहनता से अध्ययन । वादीगणों द्वारा प्रस्तुत विक्रेय पत्र 54 वर्ष पुराना दस्तावेज है और भारतीय साक्ष यम की धारा 90 बी के तहत 30 वर्ष से अधिक पुराना दस्तावेज अपने आप में रजिस्टर्ड है और धारा 90 बी के तहत इस दस्तावेज की उपधाराना रजिस्टर्ड दस्तावेज के रूप जाना उचित प्रतित होता है ।

पत्रावली के आवलोकन एवं दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष का अध्ययन करने के बाद मेरे मत में वादी का दावा स्वीकार करने योग्य है अतः वादवादी स्वीकार किया जाकर को वादग्रस्त आराजियात का 1/5 हिस्सा वादीगणों को घोषित किया जाकर लक्ष्मण बरू का नाम विलोपित किया जाता है पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो आज दिनांक 17-10-2017 को सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी